न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :— 101/2023

1. पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी 34 केवाईडी खाजूवाला।

.......प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—12.6.23

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट उपरान्त प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीया चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/15 की कुल 7.00 बीघा यानि 1.7703 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात है। उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। भूमि का बैयनामा करवाते वक्त टाईपिंग में नाम पुष्पादेवी के स्थान पर फूसीदेवी टाईप कर दिया गया। प्रार्थीया का सही नाम पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम है जबकि वर्तमान जमाबंदी में नाम फूसीदेवी पत्नी पूर्णाराम दर्ज है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रिकॉर्ड में नाम फूसीदेवी के स्थान पर पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम करवाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया फूसीदेवी पत्नी पूर्णराम जाति जाट सा0 देह चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/15 किला नं0 12 ता 18 की 1.7703 है0 कमाण्ड दर्ज है। जो कि बैयनामा के नामान्तरकरण से लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीया द्वारा नाम शुद्धिकरण हेतु आवेदन किया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की छायाप्रति में प्रार्थीया का नाम फूसीदेवी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत समस्त डॉक्यूमेंट में प्रार्थीया का नाम पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम फूसीदेवी की जगह पुष्पादेवी करवाना चाहती है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/15 के किला नं0 12 ता 18 की 1.7703 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थीया का नाम फूसीदेवी पत्नी पूर्णराम की जगह पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि 34 केवाईडी मु0नं0 202/15 के किला नं0 12 ता 18 की 1.7703 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थीया का नाम फूसीदेवी पत्नी पूर्णराम की जगह पुष्पादेवी पत्नी पूर्णाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल—दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)